मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम,

2. विनियोग अधिनियमों का निरसन.

3. व्यावृत्ति.

    - अनुसूची

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 18 सन 2016

[दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

	विनियोग अधिनियमों का निरसन करने हेतु अधिनियम. भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम,	1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 है.
विनियोग अधिनियमों का निरसन.	2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.
व्यावृत्ति.	3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा : और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमश: किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्यूत्पन्न है:

	और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, दायित्व अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद्धति प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन: प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा: और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमितियों का निरसन संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच पर या किसी प्राधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई इस प्रकार की जा सकेगी और, या जारी रखी जा सकेगी मानो कि उक्त अधिनियमितियों को इस अधिनियम द्वारा निरसित ही नहीं किया गया हो.

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)
निरसन

वर्ष (1)	क्रमांक (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1980	17	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 संपूर्ण	सम्पूर्ण
1980	18	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 संपूर्ण	सम्पूर्ण
1993	15	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993 संपूर्ण	सम्पूर्ण
1993	16	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993 संपूर्ण	सम्पूर्ण
1993	58	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) अधिनियम, 1993 संपूर्ण	सम्पूर्ण